संख्या-19/2015/452/18-4-2015-5(एसाइड)/15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 02 जून,2015

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर पार्क अलीगढ़ की परियोजना हेतु निर्धारित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-1112/एसाइड-984/2014-15,दिनांक 31-03-2015 द्वारा हार्डवेयर पार्क अलीगढ़ की परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/डी0पी0आर0 का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा किया गया। प्रभाग का मूल्यांकन निम्नवत् हैः-

(लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	प्रभाग द्वारा आंकलित
1-	कास्ट आफ लैण्ड फिलिंग एण्ड लेवलिंग इन्क्ल्यूडिंग बाउण्ड्रीवाल विद फेनसिंग/ड्रेन/लैण्ड स्केपिंग/रोड साईड ग्रीनरी एण्ड ओवर हेड वाटर टैंक आदि।	381.00	365.14
2-	कास्ट आफ लेईंग आफ रोड्स	309.00	309.00
3-	रेन वाटर हारवेस्टिंग	3.00	3.00
4-	(33/11के0वी0 सब स्टेशन 10 के एम0एच0टी0 लाईन फ्राम् सरसोल इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन सेंटर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेट-वर्क इन्क्ल्यूडिंग स्ट्रीट लाईट आदि।	220.00	210.00
5-	कान्सट्रक्शन आफ कैन्टीन, कान्फ्रेन्स हाल/रूम, एस0पी0वी0 आफिस एण्ड शाप फार स्पेयर्स एण्ड कन्ज्यूमेबलस एण्ड वाटर पम्प रूम	80.00	70.00
6-	सीवर लाईन एण्ड वाटर सप्लाई सिस्टम/फायर फाईटिंग सिस्टम एण्ड हाईड्रान्ट्स	109.00	109.00
7-	मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्टस एण्ड प्री आपरेटिव	148.00	109.52

	इक्सपेन्सेज वैट/सर्विस टैक्स एण्ड लेवर केस आदि		
	योग	1250.00	1175.66

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-376/एसाइड/2014-15, दिनांक 14.08.2014 तथा पत्र संख्या-404/ एसाइड/स्क्रीनिंग कमेटी/2014-15, दिनांक 26.08.2014 के क्रम में शासनादेश संख्या-1357/18-4-2014-7(एसाइड)/04 दिनांक 01.10.2014 द्वारा कार्यदायी संस्था/क्रियान्वयन इकाई (एस0पी0वी0) की सैद्वान्तिक/ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार प्रश्नगत हार्डवेयर पार्क अलीगढ़ की परियोजना में कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़ को नामित किया गया है तथा परियोजना के आवेदन कर्ता (एस0पी0वी0) मेसर्स अलीगढ़ हार्डवेयर पार्क प्रा0लि0, सी0-19, औद्योगिक आस्थान अलीगढ़ है। परियोजना की कुल बास्केट मूल्य रू0-1250.00 लाख अनुमोदित है, जिसमें से एसाइड अंश रू0-1000.00 लाख तथा एस0पी0वी0 अंश रू0-250.00 लाख निर्धारित है। परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल लागत रू0-1250.00 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0-1175.66 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है, जो परियोजना की बास्केट मूल्य रू0-1250.00 लाख से कम है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0-1175.66 लाख का 80 प्रतिशत एसाइड अंश रू0-940.53 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परियोजना की अवशेष धनराशि एस0पी0वी0 द्वारा स्वयं वहन की जायेगी:-

(1)- एसाइड अंश की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब एस0पी0वी0 द्वारा नियमानुसार एस0पी0वी0 अंश योजना के अंतर्गत बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा भूमि के सम्बंध में समुचित लीज एग्रीमेंट/अनुबंध करा लिया जायेगा। निर्धारित कार्यदायी संस्था, एस0पी0वी0 द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति/आख्या निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्रेषित करेगी तदोपरान्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा सहमत होने के पश्चात् ही शासन/एस0एल0ई0पी0सी0 के निर्देशों के अधीन एसाइड अंश नियमानुसार किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

(2)- समय-समय पर एसाइड योजना के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या विचलन नहीं किया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- परियोजना के कार्य का अनुश्रवण कार्यदायी संस्था (उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर) द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जायेगा और इस सम्बंध में संस्तुति निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3-परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न व्यवस्था के अधीन व्यय की जायेगी:-

(क) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य उपकरण की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, जिसे प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य किया गया है। उक्त मदें प्रोप्राइटरी प्रकृति की हैं। अतएव कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन कर इन कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं अन्य वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ग) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ एस0पी0वी0 का होगा।

(घ) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना की विस्तृत ड्राईग एवं डिजाईन तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड) प्रायोजना का वित्त पोषण एसाइड योजनान्तर्गत किया जायेगा।

कृपया, उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-452(1)/18-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़।
4. एस0पी0वी0 (मेसर्स अलीगढ़ हार्डवेयर पार्क प्रा0लि0 सी-19, औद्योगिक आस्थान अलीगढ़)।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।